सिंहावलोकन

भूमिका

ज्ञान को 21वीं शताब्दी का प्रमुख प्रेरक बल स्वीकार किया गया है और वैश्विक स्तर पर एक प्रतियोगी खिलाड़ी के रूप में उभरने की भारत की क्षमता अधिकांशतः ज्ञान संसाधनों पर निर्भर करेगी। पीढ़ीगत बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिए एक ऐसा व्यवस्थागत बदलाव जरूरी है जोकि समूचे ज्ञान क्षेत्र की समस्याओं की ओर ध्यान दे सके। इस विशालकाय प्रयास के लिए ज्ञान क्षेत्र के सुधार के निमित्त एक ऐसी कार्ययोजना तैयार करनी होगी जोकि इन बातों के प्रति केन्द्रित होः ज्ञान की सुलभता बढ़ाना, शिक्षा प्रणालियों और उनकी आपूर्ति में बुनियादी सुधार लाना, अनुसंधान, विकास और नवाचारी संरचनाओं को नया रूप देना और बेहतर सेवाएं उत्पन्न करने के लिए ज्ञान अनुप्रयोगों का लाभ उठाना। ज्ञान की ऐसी क्रांति जो क्षमता निर्माण करने और गुणवत्ता पैदा करने का प्रयास करती है हमारे देश को, 25 वर्ष से कम आयु के 550 मिलियन युवकों सहित हमारी मानवीय पूंजी को सामर्थ्यवान बना सकेगी। हमारा अनूठा जनसांख्यिकीय लाभ जबरदस्त अवसर के साथ–साथ एक दुष्कर चुनौती भी पेश करता है जिसके लिए एक नए ज्ञानोन्मुखी प्रतिमान के निमित्त रचनात्मक कार्यनीतियों की जरूरत है।

इसी परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में जून, 2005 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) की स्थापना की थी जिससे कि हमारे ज्ञान संबंधी संस्थानों और आधारिक–तंत्र के सुधार के लिए एक कार्ययोजना तैयार की जा सके जोकि भारत को, भविष्य की चुनौतियां का मुकाबले करने में समर्थ बना सकेगी।

एनकेसी के विचारार्थ विषय हैः

- शिक्षा व्यवस्था में उत्कृष्टता लाना ताकि वह 21वीं शताब्दी में ज्ञान की चुनौतियों का सामना कर सके और ज्ञान के क्षेत्रों में भारत के स्पर्द्धात्मक लाभ में वृद्धि कर सके।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना।
- बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़े संस्थानों का प्रबंधन सुधारना।
- खेती और उद्योग में ज्ञान के उपयोग को बढ़ावा देना।
- सरकार को नागरिकों के लिए एक असरदार, पारदर्शी और जवाबदेह सेवा प्रदान करने वाली संस्था का रूप देने में ज्ञान क्षमताओं के उपयोग को बढ़ावा देना और लोगों को अधिक–से–अधिक लाभ पहुंचाने के लिए ज्ञान के व्यापक प्रचार–प्रसार को बढ़ावा देना।

अपने इस अधिदेश को आगे बढ़ाने के वास्ते आयोग ने अपना ध्यान ज्ञान के पांच महत्वपूर्ण पक्षों पर केन्द्रित किया जो इस प्रकार हैंः ज्ञान की सुलभता बढ़ाना, उन संस्थानों में नए प्राण फूंकना जहां ज्ञान की अवधारणाएं प्रदान की जाती हैं, ज्ञान के सृजन के लिए एक विश्वस्तरीय माहौल पैदा करना, सतत और समावेशी उन्नति के लिए ज्ञान के अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना, तथा जनसेवाओं की प्रभावी आपूर्ति में ज्ञान अनुप्रयोगों का इस्तेमाल करना। इनमें से प्रत्येक लक्ष्य की पूर्ति के लिए विशेष ध्यातव्य क्षेत्रों की पहचान की गई। एनकेसी ने सिफारिशें तैयार करते समय, विशेष रूप से कार्यदलों के रूप में गैर–सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों की नियुक्ति करके हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया।

तीन वर्षों में एनकेसी ने प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्रों के रूप में 27 ध्यातव्य क्षेत्रों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इन सिफारिशों को तीन संकलनों अर्थात 'राष्ट्र के प्रति रिपोर्ट 2006', 'राष्ट्र के प्रति रिपोर्ट, 2007' तथा 'एक ज्ञानवान समाज की ओर' जोकि शिक्षा सिफारिशों का एक संकलन, है के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है। इन सिफारिशों पर जोकि एनकेसी वेबसाइट के माध्यम से भी सुलभ है, व्यापक चर्चाएं हो चुकी हैं। राज्य स्तर पर ज्ञान पहलें निर्मित करने के उद्देश्य से एनकेसी राज्य सरकारों के संपर्क में भी बना हुआ है।

विचारार्थ विषय और संगठन

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) की स्थापना भारत के प्रधानमंत्री के उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय के रूप में 13 जून, 2005 को की गई थी। आयोग की कल्पना भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा निम्न शब्दों में अभिव्यक्त की गई थी:

"अब समय आ गया है कि संस्थान निर्माण का दूसरा दौर शुरू किया जाए और शिक्षा, अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की जाए'।"

आयोग के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

- 21वीं शताब्दी की ज्ञान चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में उत्कृष्टता का निर्माण करना और ज्ञान के क्षेत्रों में भारत के प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ को बढ़ाना।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना।
- बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों के प्रबंध में सुधार लाना।
- कृषि और उद्योग में ज्ञान प्रयोगों को बढ़ावा देना।
- नागरिकों को एक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह सेवाप्रदाता के रूप में सरकार के भीतर ज्ञान क्षमताओं के प्रयोग को बढ़ावा देना और सार्वजनिक लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से ज्ञान के व्यापक आदान–प्रदान को प्रोत्साहित करना।

2 अक्तूबर, 2008 तक का तीन वर्ष का कार्यकाल था जिसे 31 मार्च, 2009 तक बढ़ा दिया गया था। एनकेसी की अंतिम रिपोर्ट में आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रस्तुत की गई सभी सिफारिशों का पूरा पाठ दिया हुआ है। साथ ही इसमें सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई, प्रमुख ध्यातव्य क्षेत्रों पर बेसलाइन आंकड़े और उसके साथ–साथ एनकेसी परामर्शों के विवरण दिए हुए हैं।

संगठन

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में इसके अध्यक्ष सहित आठ सदस्य शामिल हैं। सभी सदस्य अंशकालिक रूप से अपना काम करेंगे और इसके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं लेंगे।

सदस्यों के काम में उनकी मदद के लिए कुछ तकनीकी कर्मचारी होंगे, जिनका नेतृत्व सरकार द्वारा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में नियुक्त कार्यकारी निदेशक करेंगे। आयोग अपने कार्यों के प्रबंध में सहायता हेतु विशेषज्ञों को भी शामिल कर सकता है।

नियोजन और बजट के साथ–साथ संसद संबंधी कार्यों या दायित्वों को संभालने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की नोडल (केन्द्रीय) एजेंसी योजना आयोग को बनाया गया है।

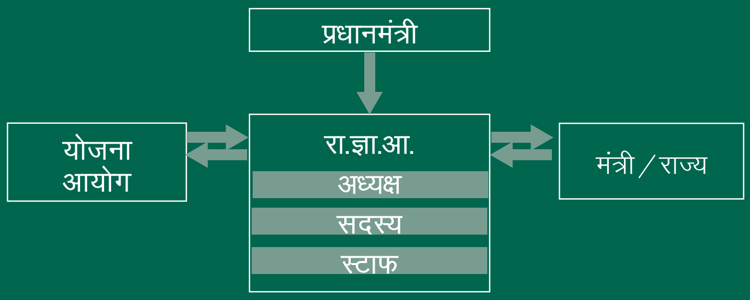

सदस्य

श्री सैम पित्रोदा (अध्यक्ष)

श्री पित्रोदा पिछले चार दशक से दूरसंचार के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने दूरसंचार को विकास और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया की गति तेज करने और संचार के मामले में दुनिया भर में मौजूद खाई को पाटने का साधन बनाकर उल्लेखनीय शुरूआत की है। उनकी पेशेवर जिंदगी उत्तरी अमरीका, एशिया और यूरोप के तीन महाद्वीपों में बंटी रही है। दूरसंचार को राष्ट्रीय विकास के एक साधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सलाहकार के रूप में श्री सैम पित्रोदा ने भारत में दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी का बुनियादी ढांचा तैयार करने में मदद की। वह भारत में दूरसंचार आयोग के संस्थापक अध्यक्ष थे। वह पेयजल, साक्षरता, टीकाकरण, तिलहन और डेयरी से जुड़े राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशनों के अध्यक्ष भी रहे। भारत की विकास संबंधी योजनाएं बनाने और नीतिगत दृष्टिकोण तय करने में उनका उल्लेखनीय योगदान है।

श्री पित्रोदा ने यूरोप और अमरीका में कई कंपनियां खोली और उनका संचालन किया। उनके नाम दुनिया भर में 75 से अधिक पेटेंट हैं। आपको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है।

डॉ. अशोक गांगुली

डॉ. गांगुली फर्स्ट सोर्स लिमिटेड तथा एबीवी प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं और नवंबर, 2000 से भारत के रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक हैं। उनकी टेक्नोलाजी नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक अपनी परामर्शी कंपनी है। संप्रति वे महिंद्रा एंड महिंद्रा, विप्रो लिमिटेड, टाटा एआईजी जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड और आईसीआईसीआई ज्ञान पार्क के गैर–कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

डॉ. गांगुली व्यापार और उद्योग के बारे में प्रधानमंत्री की परिषद और निवेश आयोग के सदस्य हैं। डॉ. गांगुली 35 वर्ष से युनिलीवर पीएलसी/एनवी से इस पेशे से जुड़े रहे हैं। वे 1980 से 1990 तक हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के अध्यक्ष और फिर 1990 से 1997 तक युनिलीवर बोर्ड के सदस्य के नाते दुनिया भर में अनुसंधान और टेक्नोलाजी की देखरेख करते रहे हैं।

वे भारत के प्रधानमंत्री की विज्ञान सलाहकार परिषद के सदस्य (1985–89) तथा अनुसंधान परिषदों के यूके सलाहकार बोर्ड (1991–94) के सदस्य रह चुके हैं। पद्मभूषण से सम्मानित तथा चीनी विज्ञान अकादमी के मानद प्रोफेसर के रूप में डॉ. गांगुली ने तीन पुस्तकें लिखी हैं ––*इंडस्ट्री एंड लिबरलाइजेशन, स्ट्रेटजिक मैन्युफैक्चरिंग फार कंपटीटिव एडवांटेज एंड बिजनेस ड्रिवेन आर एंड डी – मैनेजिंग नालेज टू क्रिएट वेल्थ।*

डॉ. पी. बलराम

प्रोफेसर पी. बलराम मालीक्यूलर भौतिकशास्त्र के प्रोफेसर हैं और आजकल भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के निदेशक हैं। इससे पूर्व आप संस्थान में लेक्चरर (1973–77), सहायक प्रोफेसर (1977–82), सह–प्रोफेसर (1982–85), अध्यक्ष, मालीक्यूलर भौतिकशास्त्र यूनिट (1995–2000) तथा अध्यक्ष जीववैज्ञानिक प्रभाग (2002–05) रह चुके हैं। आपके अनुसंधान की प्रमुख रुचियां हैं–बायोआर्गेनिक रसायनशास्त्र तथा मालीक्यूलर जैव–भौतिकी। आपने 370 से अधिक अनुसंधान लेख लिखे हैं। आपने एम.एससी. आईआईटी, कानपुर (1969) से तथा रसायनशास्त्र में पीएच.डी. कार्नेजी–मेलन, पिट्सबर्ग, यूएसए (1972) से की थी।

प्रोफेसर बलराम इंडियन एकेडमी आफ साइंस, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी तथा थर्ड वर्ल्ड एकेडमी आफ साइंसेज, ट्रिस्टी, इटली के फेलो हैं। प्रोफेसर बलराम को उनके कार्य की मान्यतास्वरूप शांतिस्वरूप भटनागर पुरस्कार, सीएसआईआर (1986), आईआईएससी (1991), रसायनशास्त्र में ट्वास पुरस्कार (1994), वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जी. डी. बिरला पुरस्कार (1994) तथा भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पद्मश्री पुरस्कार (2002) सहित अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं।

संप्रति, प्रोफेसर बलराम भारत सरकार की अनेक समितियों के सदस्य हैं और वे केन्द्रीय मंत्रिमंडल की विज्ञान सलाहकार

समिति के, डीएई के बोर्ड आफ रिसर्च इन न्यूक्लीयर साइंस, प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। आप पिछले दस वर्षों से अधिक समय से 'करेंट साइंस' के संपादक रहे हैं।

डॉ. जयती घोष

डॉ. जयती घोष, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर इकॉनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के अध्यक्ष और अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है। आपने भूमंडलीकरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त, विकासशील देशों में रोजगार पद्धतियां, मैक्रोइकॉनामिक नीति और लिंग तथा विकास से जुड़े मुद्दों पर शोध कार्य किया है।

आपकी प्रकाशित रचनाओं में *क्राइसेस एज ए कॉन्क्वेस्टः लर्निंग फ्राम ईस्ट एशिया, द मार्केट दैट फेल्डः ए डैकेड ऑफ नियोलिबरल इकॉनामिक रिफार्म्स इन इंडिया और वर्क एंड वैल बीइंग इन द एज ऑफ फाइनेंस* (प्रो. चन्द्रशेखर के साथ सह–लेखिका) शामिल हैं। आप पश्चिम बंगाल मानव विकास रिपोर्ट 2004 की मुख्य लेखिका थीं, जिसे विश्लेषण में उत्कृष्टता के लिए यूएनडीपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने अनेक शोध पत्र भी लिखे हैं तथा कई प्रमुख पत्र–पत्रिकाओं की नियमित स्तंभकार हैं। डॉ. जयती घोष अनेक जनसूचना वेबसाइट्स के संचालन से जुड़ी हैं, इकॉनामिक रिसर्च फाउंडेशन की संस्थापक हैं और हेटरोडॉक्स डेवलपमेंट इकॉनामिस्ट्स के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क इंटरनेशनल डेवलपमेंट इकॉनामिक्स एसोसिएट्स (आइडियाज) की कार्यकारी सचिव हैं। आप 2004 में आंध्र प्रदेश किसान कल्याण आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं और अनेक प्रगतिशील संगठनों तथा सामाजिक आंदोलनों से करीब से जुड़ी हुई है।

डॉ. दीपक नय्यर

डॉ. दीपक नय्यर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। वे ऑक्सफोर्ड और ससेक्स विश्वविद्यालयों तथा भारतीय प्रबंध संस्थान, कोलकाता में अध्यापन कर चुके हैं और 2000 से 2005 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के उप–कुलपति रहे हैं। आप वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार और वित्त मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय में सेंट स्टीफंस कालेज के स्नातक डॉ. नय्यर रोडेस स्कालर बन गए और उन्होंने बल्लीओल कालेज, ऑक्सफोर्ड से अर्थशास्त्र मे डी.फिल. की उपाधि प्राप्त की। आपको अर्थशास्त्र में शोध में उल्लेखनीय योगदान के लिए वी.के. आर.वी. राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी पुस्तकों में – *इंडियाज एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पालिसीज, द इंटेलिजेंट पर्संस गाइड टु लिब्रलाइजेशन, गवर्निंग ग्लोबलाइजेशनः इश्यूज एंड इंस्टीट्यूशंस और माइग्रेशन, रैमिटेनसेज एंड कैपिटल फ्लोजः द इंडियन एक्सपीरियंस* शामिल हैं।

डॉ. नय्यर बल्लीओल कालेज के मानद फैलो, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में क्वीन एलिजाबेथ हाउस, इंटरनेशनल डेवलपमेंट विभाग की सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। आप इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटीज, पेरिस के उपाध्यक्ष और वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकॉनामिक्स रिसर्च, हेलसिंकी के संचालक मंडल के अध्यक्ष हैं। आप वर्ल्ड कमीशन आन द सोशल डाइमेंशन आफ ग्लोबलाइजेशन के सदस्य रह चुके हैं।

डॉ. नंदन नीलेकनी

इंफोसिस टेक्नोलाजीज़ लिमिटेड के संस्थापक सदस्य श्री नीलेकनी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इससे पहले वे इंफोसिस में प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी रह चुके हैं।

श्री नीलेकनी भारत की नेशनल एसोसिएशन आफ साफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नेसकॉम) के संस्थापक सदस्य भी हैं। आप एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और व्यापार सदस्यता संगठन द कांफ्रेंस बोर्ड, इंक के उपाध्यक्ष और लंदन बिजनेस स्कूल के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। आप विद्युत क्षेत्र के लिए भारत सरकार के आईटी टास्क फोर्स के अध्यक्ष रह चुके हैं। आप भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की इनसाइडर ट्रेडिंग उपसमिति और कंपनी प्रशासन के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के सलाहकार दल के सदस्य रह चुके हैं। आप जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन की समीक्षा समिति के सदस्य भी हैं और एक गैर–कार्यकारी सदस्य के रूप में रायटर बोर्ड में सेवा प्रदान करते हैं।

आपने अनेक सम्मान प्राप्त किए हैं, जिनमें – फार्च्युन पत्रिका का *एशियाज़ बिज़नेसमैन आफ द इयर* 2003 पुरस्कार (इंफोसिस के अध्यक्ष श्री एन.आर. नारायण मूर्ति के साथ) और एशिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स (2004) में कारपोरेट सिटीजन ऑफ द इयर पुरस्कार और पद्मभूषण (2006) शामिल हैं। 2002 और 2003 में फाइनेंशियल टाइम्स और प्राइसवॉटरहाउस कूपर्स के विश्वव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार उन्हें विश्व के सर्वाधिक सम्मानित बिजनेस लीडर्स में स्थान दिया गया। श्री नीलेकनी जनवरी, 2006 में लब्धप्रतिष्ठ विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) प्रतिष्ठान बोर्ड के 20 वैश्विक नेताओं में शामिल होने वाले सबसे युवा उद्यमी हैं।

डॉ. सुजाता रामदोराई

सुजाता रामदोराई स्कूल आफ मैथमेटिक्स, टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर) में प्रोफेसर हैं। आप विश्व में अनेक विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में अतिथि प्रोफेसर रही हैं। संप्रति, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट की अतिथि प्रोफेसर हैं।

डॉ. रामदोराई को शांतिस्वरूप भटनागर पुरस्कार के अलावा नार्वे ऐकेडमी आफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा आईसीटीपी श्रीनिवास रामानुजन पदक से सम्मानित किया जा चुका है। आपकी अनुसंधान की रुचियां अंकगणितीय संख्या सिद्धांत पर केन्द्रित हैं। साथ ही आप भारत में विशेष रूप से प्योर साइंसेज में शिक्षा और अनुसंधान से संबंधित मुद्दों के साथ जुड़ी रही हैं।

आप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की पत्रिकाओं में अनेक शोध लेख लिखे हैं और अपने अनुसंधान कार्य में व्यापक रूप से सहयोग प्राप्त किया है। आप *साइक्लोटोमिक फील्ड्स एंड जेटावैल्यूज* की सह–लेखिका (प्रो. जे. कोर्स के साथ) रही हैं।

डॉ. अमिताभ मट्टू

प्रोफेसर मट्टू ने आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंग्डम से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में डाक्टरेट प्राप्त की है। आप जम्मू विश्वविद्यालय के पूर्व–उपकुलपति है। आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर होने के साथ–साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के अध्ययन के कोर दल के निदेशक भी रहे हैं। प्रोफेसर मट्टू पगवाश कांफ्रेंस आन साइंस एंड वर्ल्ड अफयर्स की शासी परिषद, इंडिया–अफगानिस्तान फाउंडेशन के बोर्ड के सदस्य रहने के साथ–साथ एसपीआईसीएमएसीएवाई के जम्मू तथा कश्मीर अध्याय के अध्यक्ष रहे हैं।

प्रोफेसर मट्टू न्यूक्लीयर साइंस सेंटर की शासी परिषद के सदस्य; एसोसिएशन आफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की स्थायी समिति के सदस्य तथा अनेक विश्वविद्यालयों की कार्यकारी परिषद के सदस्य रहे हैं। आप अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित हो चुके हैं, अभी कुछ समय पहले तक आप भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सलाहकार बोर्ड के सदस्य रहे थे। सन 2008 में आपको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

प्रविधि

- प्रमुख चिन्हित क्षेत्रों की पहचान
- विविध हितधारकों की पहचान और क्षेत्र में प्रमुख मुद्दों को समझना
- कार्य दलों का गठन तथा कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन करना, संबंधित विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ विस्तृत औपचारिक और अनौपचारिक परामर्श करना
- प्रशासनिक मंत्रालयों और योजना आयोग के साथ परामर्श
- अध्यक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री को भेजे जाने वाले पत्र के रूप में सिफारिशों को अंतिम रूप देने के वास्ते एनकेसी में चर्चा
- प्रधानमंत्री को भेजे जाने वाले पत्र जिसमें सिफारिशें, प्रारंभिक उपाय तथा एनकेसी के संगत व्याख्यात्मक दस्तावेजों द्वारा समर्थित वित्तीय प्रभाव आदि शामिल हैं
- राज्य सरकारों, नागरिक समाज तथा अन्य हितधारियों के बीच सिफारिशों का प्रसार
- प्रधानमंत्री कार्यालय के तत्वावधान में सिफारिशों का कार्यान्वयन शुरू करना
- प्रस्तावों के कार्यान्वयन का समन्वय और अनुवर्ती कार्रवाई

कार्य दल

कार्यकारी समूहः पुस्तकालय, भाषा, कृषि, स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क, उच्चतर शिक्षा, चिकित्सीय शिक्षा, विधिक शिक्षा, प्रबंध शिक्षा, इंजीनियरी शिक्षा, परंपरागत स्वास्थ्य प्रणालियां, गणित और विज्ञान में और अधिक छात्र, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा, जीवन स्तर में सुधार लाना

कार्यशालाएं/संगोष्ठियां

साक्षरता, अनुवाद, नेटवर्क, स्कूल शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, बौद्धिक संपदा अधिकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, मुक्त शिक्षा संसाधन पोर्टल, जीवन स्तर तथा और अधिक उत्तम पीएच.डी

सर्वेक्षण

नवाचार, स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क, परंपरागत स्वास्थ्य प्रणाली और उद्यमशीलता, अधिक उत्तम पीएच.डी

प्रविधि

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा अपनाई गई प्रविधि में शुरू में चिन्हित क्षेत्रों की पहचान की जाती है। यह चयन सरकार के भीतर और बाहर––दोनों स्तरों पर व्यापक परामर्श के आधार पर किया जाता है। इसके बाद इन क्षेत्रों में बहुविध हितधारकों की पहचान की जाती है और प्रमुख मुद्दे प्रकाश में लाए जाते हैं। यह मानते हुए कि सरकार, आयोग के कुछेक निधारित क्षेत्रों में पहले से ही पहल कर रही है, इसलिए क्षेत्रों का चयन आयोग द्वारा अनूठे मूल्यसंवर्द्धन के विश्लेषण को भी ध्यान में रखता है। यह काम या तो परंपरागत समस्याओं के लिए नवाचारी समाधानों की पेशकश करके अथवा किसी क्षेत्र में कार्यरत अलग–अलग समूहों को एक साथ लाकर किया जा सकता है।

चिन्हित क्षेत्रों की पहचान के बाद विशेषज्ञों और व्यावसायिकों के कार्य समूहों का गठन किया जाता है। इन कार्य समूहों में विशिष्ट रूप से 5 से 10 विशेषज्ञ शामिल होते हैं और वे रिपोर्ट तैयार करने के लिए 3 से 4 महीने तक नियमित रूप से बैठकें आयोजित करते हैं। कार्य समूहों की रिपोर्टें, एनकेसी द्वारा अपनी सिफारिशें तैयार करने के वास्ते विचार–विमर्श के दौरान प्रयुक्त इन्पुटों में से एक इन्पुट होती हैं। इसके अलावा संबंधित विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ अनौपचारिक परामर्श के साथ–साथ नियतकालिक आधार पर कार्यशालाएं और संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं जिससे कि यथासंभव एक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सके। जिन मुद्दों के मामले में अनुभवों के एक अत्यंत व्यापक समझ की जरूरत होती है, उनमें सर्वेक्षण भी किया जा सकता है। एनकेसी ने विभिन्न ध्यातव्य क्षेत्रों के लिए अलग–अलग दृष्टिकोण अपनाए हैं, जिसका उद्देश्य एक ऐसी प्रक्रिया स्थापित करना है जो कि यथासंभव समावेशी और सहभागितापूर्ण हो। इस प्रक्रिया के माध्यम से एनकेसी विभिन्न मतों को एक साथ लाने वाले एक मंच के रूप में काम करता है जिससे कि मुद्दों को गहराई से समझा जा सके। विचार–विमर्श के इस स्तर पर संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को सक्रिय रूप से सहयोजित किया जाता है।

इस प्रक्रिया का पालन करते हुए आयोग के सदस्य सिफारिशों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से परामर्श तथा कार्य समूहों की रिपोर्टों में उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करते हैं। चर्चाओं के कई दौरों के बाद प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजा जाता है जिसमें प्रमुख सिफारिशें, प्राथमिक उपाय, संगत व्याख्यात्मक दस्तावेजों द्वारा समर्थित वित्तीय प्रभाव आदि शामिल रहते हैं।

प्रधानमंत्री तथा संबंधित मंत्रालयों द्वारा सिफारिशें प्राप्त किए जाने के बाद राज्य सरकारों, सिविल समाज तथा अन्य हितधारियों के बीच एनकेसी की सिफारिशों का व्यापक प्रसार किया जाता है। सिफारिशों का कार्यान्वयन इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के तत्वावधान में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ तालमेल और अनुवर्ती कार्रवाई सहित शुरू किया जाता है।

- प्रमुख चिन्हित क्षेत्रों की पहचान
- विविध हितधारकों की पहचान और क्षेत्र में प्रमुख मुद्दों को समझना
- कार्य दलों का गठन तथा कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन करना, संबंधित विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ विस्तृत औपचारिक और अनौपचारिक परामर्श करना
- प्रशासनिक मंत्रालयों और योजना आयोग के साथ परामर्श
- अध्यक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री को भेजे जाने वाले पत्र के रूप में सिफारिशों को अंतिम रूप देने के वास्ते एनकेसी में चर्चा
- प्रधानमंत्री को भेजे जाने वाले पत्र जिसमें सिफारिशें, प्रारंभिक उपाय तथा एनकेसी के संगत व्याख्यात्मक दस्तावेजों द्वारा समर्थित वित्तीय प्रभाव आदि शामिल हैं
- राज्य सरकारों, नागरिक समाज तथा अन्य हितधारियों के बीच सिफारिशों का प्रसार
- प्रधानमंत्री कार्यालय के तत्वावधान में सिफारिशों का कार्यान्वयन शुरू करना
- प्रस्तावों के कार्यान्वयन का समन्वय और अनुवर्ती कार्रवाई

एनकेसी
तात्कालिक कार्य

2006 में प्रस्तुत की गई सिफारिशें

- पुस्तकालय
- अनुवाद
- अंग्रेज़ी भाषा अध्यापन
- राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क
- शिक्षा का अधिकार
- व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण
- उच्चतर शिक्षा
- राष्ट्रीय विज्ञान और समाज विज्ञान प्रतिष्ठान
- ई–अधिकारिता

2007 में प्रस्तुत की गई सिफारिशें

- स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क
- पोर्टल
- मुक्त शैक्षिक पाठ्यविवरण
- विधिक शिक्षा
- चिकित्सीय शिक्षा
- प्रबंध शिक्षा
- मुक्त और दूरस्थ शिक्षा
- बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)
- नवाचार
- परंपरागत स्वास्थ्य प्रणाली
- सरकारी वित्तपोषित अनुसंधान के लिए विधिक तंत्र

2008 में प्रस्तुत की गई सिफारिशें

- स्कूल शिक्षा
- इंजीनियरी शिक्षा
- विज्ञान और गणित में और अधिक छात्र
- और अधिक उत्तम पीएच.डी.
- उद्यमशीलता

2009 में प्रस्तुत की गई सिफारिशें

- कृषि
- जीवन स्तर में सुधार लाना

ज्ञान पंचभुज

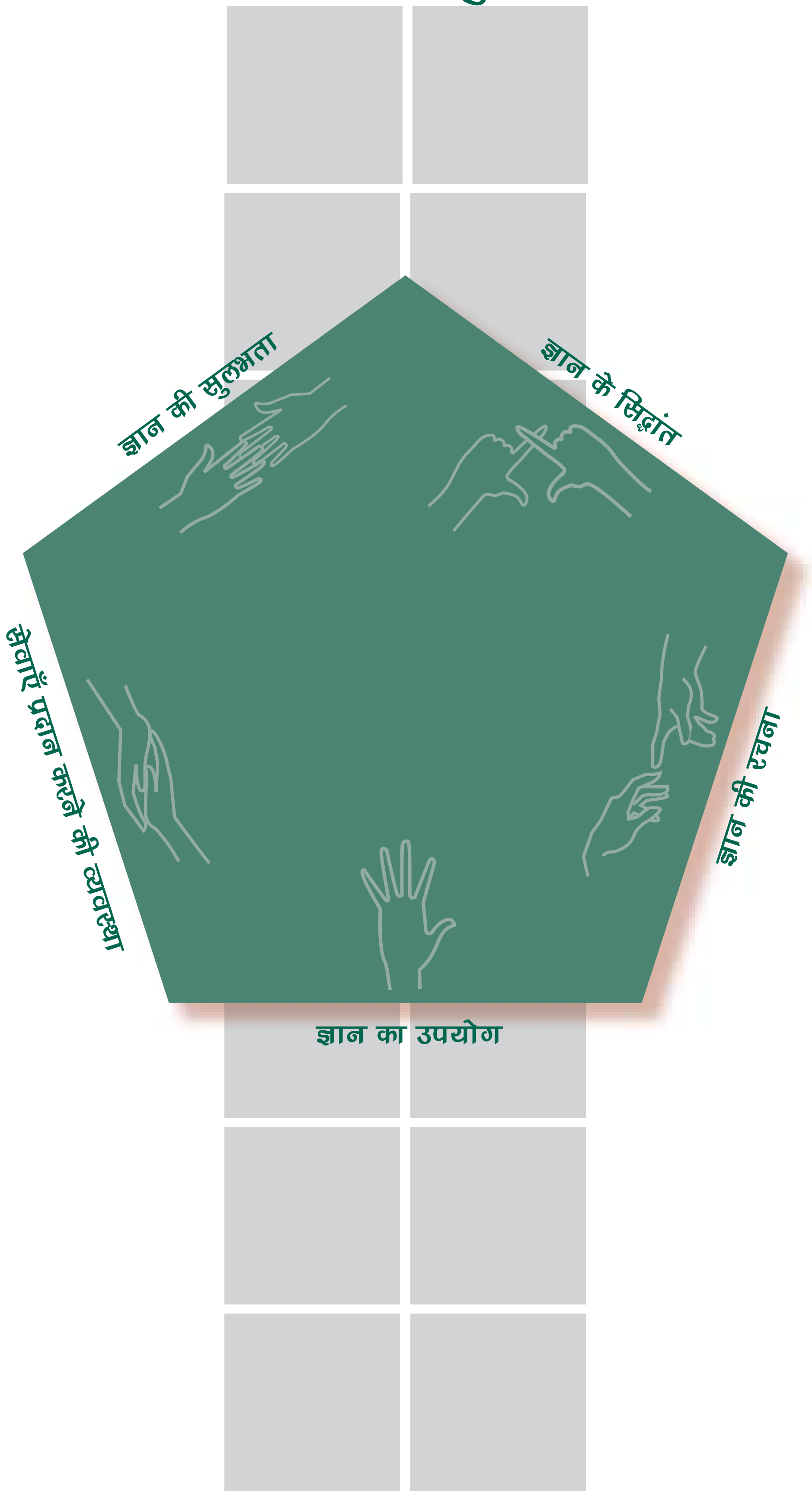

सिफारिशों का सार

सुलभता

ज्ञान की सुलभता प्रदान करना व्यक्तियों और समूहों के अवसरों को बढ़ाने का सबसे अधिक बुनियादी तरीका है। इसलिए समाज में ज्ञान की सुलभता में जीवन का संचार करना और विस्तार करना जरूरी है। इस संदर्भ में एनकेसी ने शिक्षा का अधिकार, पुस्तकालयों, भाषा, अनुवाद, पोर्टल तथा ज्ञान नेटवर्कों जैसे क्षेत्रों में सिफारिशें की हैं।

- **शिक्षा का अधिकारः** 86वें संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बना दिया है। तथापि, भारतीय बच्चों के लिए उत्तम स्तर की शिक्षा की सर्वसुलभता बढ़ाने की दृष्टि से एनकेसी यह सिफारिश करता है कि शिक्षा के अधिकार की पुष्टि करने के लिए एक केन्द्रीय कानून की जरूरत है। इसमें इस आशय का एक वित्तीय प्रावधान होना चाहिए जिसके तहत शिक्षा के अधिकार की पूर्ति के लिए अपेक्षित अतिरिक्त निधियों का बड़ा हिस्सा केन्द्रीय सरकार को जुटाना होगा। साथ ही इस कानून में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के न्यूनतम मानक निर्धारित किए जाने चाहिए और उसे प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर सरकार की जिम्मेदारी अवश्य ही स्वीकार की जानी चाहिए और वह वादयोग्य होनी चाहिए।
- **भाषाः** मौजूदा परिदृश्य में उच्चतर शिक्षा, रोजगार संभावनाओं और सामाजिक अवसरों की सुलभता की दृष्टि से अंग्रेजी भाषा की समझ और उसमें पारंगत होना सबसे अधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। अतः एनकेसी यह सिफारिश करता है कि एक भाषा के रूप में अंग्रेजी की शिक्षा बच्चे की पहली भाषा (मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा) के साथ पहली कक्षा से ही शुरू कर दी जानी चाहिए। इसके अलावा एनकेसी ने अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के शिक्षाशास्त्र में सुधार की आवश्यकता तथा परंपरागत शिक्षण विधि को संपूरित करने के लिए सभी उपलब्ध मीडिया के प्रयोग पर भी ध्यान केन्द्रित किया है।
- **अनुवादः** एक बहुभाषी देश में विभिन्न भाषायी समूहों को ज्ञान उपलब्ध कराने में अनुवाद को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। एनकेसी ने यह सिफारिश की है कि अनुवाद को एक उद्योग की तरह विकसित किया जाना चाहिए तथा समूचे देश के भीतर अनुवाद क्रियाकलापों पर बल देते हुए एक राष्ट्रीय अनुवाद मिशन की स्थापना की जानी चाहिए। यह मिशन अनेक क्रियाकलाप हाथ में लेगा जैसेकि अनुवाद के सभी पक्षों संबंधी जानकारी का एक भंडार स्थापित करना, अनुवादकों के लिए उत्तम स्तर का प्रशिक्षण और शिक्षा उपलब्ध कराना और अनुवाद के लिए विभिन्न साधन तैयार करना और उन्हें बनाए रखना।
- **पुस्तकालयः** पुस्तकालय और सूचना सेवा (एलआईएस) क्षेत्र को चुस्त बनाने के लिए एनकेसी ने ये सिफारिशें की हैं: पुस्तकालयों की व्यापक गणना, पुस्तकालयों के प्रबंध का आधुनिकीकरण ताकि समुदाय की और अधिक सहभागिता सुनिश्चित हो सके जिसमें एलआईएस के विकास में निजी–सरकारी भागीदारियों के माडल तथा विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए आईसीटी का लाभ उठाना शामिल है। इस क्षेत्र की ओर सतत रूप से ध्यान देने के लिए एनकेसी ने पुस्तकालयों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की सिफारिश की है जोकि इस क्षेत्र में सभी विकासात्मक क्रियाकलापों को सुचारु रूप देगा।
- **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्कः** आज के युग में सफल अनुसंधान जीवंत परामर्श, डाटा तथा संसाधनों के आदान–प्रदान की अपेक्षा करता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए एनकेसी ने एक ऐसे हाई–एंड राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना की सिफारिश की है जोकि विभिन्न क्षेत्रों में तथा देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित हमारे ज्ञान संस्थानों को गीगाबाइट क्षमता से युक्त एक इलेक्ट्रोनिक डिजिटल ब्राडबैंड नेटवर्क के माध्यम से जोड़ देगा।
- **पोर्टलः** एनकेसी ने जल, ऊर्जा, पर्यावरण, अध्यापक, जैव विविधता, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, नागरिक अधिकार आदि जैसे कतिपय प्रमुख क्षेत्रों पर राष्ट्रीय वेब–आधारित पोर्टलों के सृजन की सिफारिश की है। ये पोर्टल सभी हितधारकों के लिए किसी एक क्षेत्र संबंधी जानकारी के लिए 'एकल खिड़की' के रूप में काम करेंगे और इनकी देखभाल बहुविध हितधारकों के प्रतिनिधियों से युक्त संघ द्वारा की जाएगी जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका स्वरूप राष्ट्रीय है। एनकेसी ने आगे वर्णित विषयों पर पांच पोर्टलों की स्थापना सुविधापूर्ण बनाई है: जल जोकि अर्घ्यम ट्रस्ट द्वारा समर्थित है;

ऊर्जा जोकि दि एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) द्वारा समर्थित है; पर्यावरण जोकि सेंटर फार साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) द्वारा समर्थित है; अध्यापक जोकि आजिम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा समर्थित है तथा जैव–विविधता जोकि अशोका ट्रस्ट फार रिसर्च इन ईकोलाजी एंड दि एनवायरमेंट (एटीआरईई) द्वारा समर्थित है।

- **स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क:** सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में हुई उन्नति ने स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति की प्रभाविता बढ़ाने के लिए नए अवसर पैदा किए हैं। एनकेसी का यह मानना है कि देश को निजी और सरकारी–दोनों क्षेत्रों में सभी स्वास्थ्य देखभाल स्थापनाओं को जोड़ने वाला एक वेब–आधारित नेटवर्क तैयार करने की जरूरत है। इस नेटवर्क के पूरी तरह प्रचालनात्मक होने पर स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सभी प्रक्रियाएं इलेक्ट्रानिक विधि से रिकार्ड की जाएंगी और यह डाटा, अधिकृत प्रयोक्ताओं के लिए, जब कभी और जहां कहीं उन्हें इसकी जरूरत होगी स्वास्थ्य डाटा वाल्ट में उपलब्ध रहेगा। इस प्रयोजन के लिए मुक्त स्रोत समाधानों पर आधारित एक साझा इलेक्ट्रोनिक स्वास्थ्य रिकार्ड (ईएचआर) निर्मित किए जाने तथा व्यापक रूप से प्रसारित किए जाने की जरूरत है।

अवधारणाएं

ज्ञान की अवधारणाएं आयोजित की जाती हैं और शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रसारित की जाती है। व्यक्ति के विकास तथा देश के समाजार्थिक परिदृश्य को बदलने के लिए शिक्षा एक प्रमुख समर्थनकारी तत्व है। इसलिए एनकेसी का कार्य शिक्षा क्षेत्र को चुस्त बनाने के प्रति केन्द्रित रहा है। एनकेसी की चिंता भारतीय शिक्षा प्रणाली के अनेक पक्षों को लेकर है जिनमें ये शामिल हैं: स्कूली शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और पेशेवर शिक्षा।

- **स्कूली शिक्षा:** उत्तम स्कूली शिक्षा को सुलभ बनाने को अमली जामा पहनाने के लिए प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर बड़े पैमाने पर विस्तार करना होगा तथा स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार लाना होगा। इसलिए एनकेसी ने स्कूल प्रणाली में पीढ़ीगत बदलावों की सिफारिश की है जो स्कूलों के प्रबंधन में विकेन्द्रीकरण, स्थानीय स्वायत्तता तथा निधियों के संवितरण में नमनशीलता को बढ़ावा देंगे। गुणवत्ता में सुधार लाने और जवाबदेही पैदा करने की दृष्टि से एनकेसी ने स्कूल के आधारिक–तंत्र में सुधार लाने तथा स्कूली निरीक्षण को चुस्त बनाने की सिफारिश की है जिससे स्थानीय हितधारकों की भूमिका बढ़ जाएगी और प्रणाली में अधिक पारदर्शिता आ जाएगी। इसके अलावा जहां कहीं व्यवहार्य हो, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अध्यापकों, छात्रों और प्रशासन के लिए और अधिक सुलभ होनी चाहिए। साथ ही एनकेसी ने रट्टा लगाकर सीखने से हटकर अवधारणाओं की गहरी समझ और अंततः योग्यता में सुधार की तरफ बढ़ते हुए पाठ्यचर्या और परीक्षा प्रणालियों में सुधारों की जरूरत पर बल दिया है।
- **व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी):** व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) में सुधार लाने के लिए एनकेसी की सिफारिशें मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली के भीतर वीईटी की नमनशीलता पर बल देती हैं। साथ ही एनकेसी ने नवाचारी आपूर्ति माडलों के माध्यम से, जिनमें सशक्त सरकारी–निजी भागीदारी शामिल है क्षमता के विस्तार की जरूरत पर भी बल दिया है। यह स्वीकार करते हुए कि देश की श्रमशक्ति का केवल 7 प्रतिशत हिस्सा संगठित क्षेत्र में है, हमारी अधिकांश कामकाजी आबादी की उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्र के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण विकल्पों का संवर्द्धन महत्वपूर्ण होगा, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के समुचित प्रमाणन सहित एक मजबूत विनियामक और प्रत्यायन तंत्र सुनिश्चित करना जरूरी है।
- **उच्चतर शिक्षा:** उच्चतर शिक्षा में एनकेसी की सिफारिशें, विस्तार, उत्कृष्टता और समावेशन—–इन तीन पक्षों की ओर केन्द्रित रही हैं। एनकेसी ने उच्चतर शिक्षा में 2015 तक जीईआर बढ़ाकर 15 किए जाने की सिफारिश की है। ऐसा किए जाने से बढ़े हुए सरकारी खर्च के अलावा निजी सहभागिता, परोपकारी व्यक्तियों के योगदान और औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए वित्तपोषण के स्रोतों में वैविध्यकरण लाना होगा। इस तरह का विस्तार लाने के लिए एनकेसी ने 2015 तक 1500 विश्वविद्यालय खोलने, अंशतः मौजूदा विश्वविद्यालयों की पुनर्रचना किए जाने का सुझाव दिया है। प्रवेश में मौजूदा बाधाओं को कम करने के लिए एनकेसी ने उच्चतर शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण (आईआरएएचई) की स्थापना की सिफारिश की है जोकि हितधारकों के बहुत निकट होगा और विश्वविद्यालयों को डिग्री प्रदान करने का अधिकार प्रदान करेगा। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एनकेसी ने मौजूदा विश्वविद्यालयों के सुधार की सिफारिश की है जिससे कि आवर्ती पाठ्यचर्या संशोधन, पाठ्यक्रम क्रेडिट प्रणाली लागू करना, आंतरिक मूल्यांकन पर अधिक भरोसा करना, अनुसंधान को बढ़ावा देना और संस्थानों के अभिशासन में सुधार लाना सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, संबंधनप्राप्त अवर–स्नातक कालेजों की प्रणाली जोकि अब उत्तम उच्चतर शिक्षा के लिए कोई व्यवहार्य माडल उपलब्ध नहीं कराती है की पुनर्रचना किए जाने की तात्कालिक जरूरत है। एनकेसी ने ऐसे सामुदायिक कालेजों के माडलों के सृजन की भी सिफारिश

की है जोकि ऐसे क्रेडिट और गैर–क्रेडिट पाठ्यक्रमों की पेशकश करते हैं जिन्हें पूरा करने पर दो वर्ष की एसोसिएट डिग्री प्राप्त होती है। इनमें सामान्य शिक्षा कार्यक्रमों के साथ–साथ रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम भी शामिल होंगे जिससे कि छात्रों को अपने जीवन में बाद में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने की नमनशीलता सुलभ हो सके। एनकेसी का यह मानना है कि सभी होनहार छात्रों को उच्चतर शिक्षा सुलभ होनी चाहिए भले ही उनकी समाजार्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। हालांकि सरकार फीस कम रखकर, विश्वविद्यालयी शिक्षा को भारी सब्सिडियां प्रदान करती हैं लेकिन उनके स्थान पर अच्छी तरह से वित्तपोषित छात्रवृत्तियां तथा सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने से जोकि वंचना के बहुआयामी स्वरूप को ध्यान में रखती है, एक बेहतर मूल्यवर्द्धन होगा।

- **गणित और विज्ञान में और अधिक प्रतिभाशाली छात्रः** देश में विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान में नवीकरण करने के लिए एनकेसी का ऐसा मानता है कि गणित और विज्ञान में और अधिक संख्या में छात्रों को आकृष्ट करना महत्वपूर्ण होगा। इस बात को बढ़ावा देने के लिए एनकेसी ने एक विशाल विज्ञान आउटरीच कार्यक्रम शुरू किए जाने, उपलब्ध आधारिक–तंत्र का स्तरोन्नयन किए जाने, अध्यापन व्यवसाय में प्राणों का संचार करने और सभी स्तरों पर अध्यापक प्रशिक्षण को चुस्त बनाए जाने की सिफारिश की है।
- **पेशावार शिक्षाः** पेशेवर शिक्षा की धाराएं उच्चतर शिक्षा प्रणाली जैसी समस्याओं में जकड़ी हुई हैं। एनकेसी ने यह सिफारिश की है कि चिकित्सीय, विधिक, प्रबंधन और इंजीनियरी शिक्षा सहित सभी पेशेवर शिक्षा धाराओं में विनियमन की मौजूदा व्यवस्था के स्थान पर प्रस्तावित स्वतंत्र विनियामक के अधीन विभिन्न धाराओं पर उप–दल रखे जाएं। इसके साथ–साथ स्वतंत्र बहुप्रत्यायन एजेंसियां भी रखी जानी होंगी जो विश्वसनीय रेटिंग उपलब्ध कराती हैं। पेशेवर शिक्षा में सुधार लाने के अन्य उपायों में ये शामिल हैंः संस्थानों को और अधिक स्वायत्ता प्रदान करना, मौजूदा परीक्षा प्रणाली में सुधार लाना, सम–सामयिक पाठ्यचर्या तैयार करना और अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- **और अधिक संख्या में उत्तम पीएच. डी.:** देश में अनुसंधान और विकास का कायाकल्प करने के लिए एनकेसी ने पीएच. डी. के स्तर में सुधार लाने के उपायों की सिफारिश की है। आयोग ने विश्वविद्यालय प्रणाली के नवीकरण और सुधार तथा अनुसंधान में एक वैश्विक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के साथ–साथ शिक्षा और अनुसंधान के सभी स्तरों पर व्यापक निवेश किए जाने की सिफारिश की है। विभिन्न विषय क्षेत्रों में डाक्टरल कार्यक्रम का नवीकरण करने तथा कठोर उद्योग–शैक्षणिक अन्योन्यक्रिया विकसित करने के लिए और आगे उपाय किए जाने होंगे। साथ ही एनकेसी ने एक राष्ट्रीय अनुसंधान मिशन स्थापित करने की भी सिफारिश की है जोकि देश के भीतर अपेक्षित अनुसंधान पारिस्थिकी प्रणाली का सृजन करेगा।
- **मुक्त और दूरस्थ शिक्षा तथा मुक्त शैक्षिक संसाधनः** उच्चतर शिक्षा में विस्तार, उत्कृष्टता और समावेशन के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा तथा मुक्त शैक्षिक संसाधनों का विकास अनिवार्य है। उच्चतर शिक्षा में दाखिल छात्रों में से 1/5 से अधिक छात्र मुक्त और दूरस्थ शिक्षाधारा में हैं। एनकेसी यह सिफारिश करता है कि दूरस्थ शिक्षा को इन विषयों पर ध्यान केन्द्रित करना होगाः एक राष्ट्रीय आईसीटी आधारिक–तंत्र का सृजन करना, विनियामक तंत्रों में सुधार लाना, वेब–आधारित साझा मुक्त संसाधन विकसित करना, क्रेडिट बैंक स्थापित करना और राष्ट्रीय परीक्षण सेवा उपलब्ध कराना। इसकी संपूर्ति के लिए एनकेसी यह भी सिफारिश करता है कि उत्तम अंतर्वस्तु का निर्माण तथा वैश्विक मुक्त शैक्षिक संसाधनों का लाभ उठाने की ओर एक व्यापक ढंग से ध्यान केन्द्रित किए जाने की जरूरत है। हमें सभी सामग्री–अनुसंधान लेखों, पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि की मुक्त सुलभता को भी प्रोत्साहित करना चाहिए।

सृजन

वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था में स्पर्द्धा करने के लिए किसी भी राष्ट्र के वास्ते नया ज्ञान सृजित करने और मौजूदा संसाधनों को बचाए रखना महत्वपूर्ण होता है। इस कारण ऐसे सभी क्रियाकलापों पर विचार करना महत्वपूर्ण हो जाता है जिनके फलस्वरूप सीधे ही ज्ञान का सृजन होता है अथवा जो सृजित ज्ञान की रक्षा करने में सहायक होते हैं। इसलिए एनकेसी ने देश में नवाचारी प्रणालियों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्रियाकलापों और बौद्धिक संपदा क्रियाकलापों के क्षेत्र जैसे मुद्दों का अध्ययन किया है।

- **बौद्धिक संपदा अधिकारः** यदि भारत को वैश्विक ज्ञान नेता बनना है तो हमें ज्ञान के सृजन में सबसे आगे रहना होगा। इसके लिए एक ऐसी अनुकूल पारिस्थिकी प्रणाली की जरूरत है जो केवल यही नहीं कि सृष्टा की विदग्धता की रक्षा करती हो बल्कि वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के जरिए ज्ञान के सृजन को पुरस्कृत भी करती हो। ज्ञान के सृजन को सुविधापूर्ण बनाने के लिए एनकेसी ने पेटेंट कार्यालयों का आधुनिकीकरण करने और वैश्विक मानकों का निर्माण करने सहित एक विश्वस्तरीय आईपीआर आधारिक–

तंत्र की दिशा में प्रयासों का स्तर बढ़ाए जाने की सिफारिश की है। आईपी कार्यालयों और साथ ही शैक्षिक संस्थानों में आईपीआर प्रशिक्षण में तीव्रता लाए जाने तथा आईपीआर सेल निर्मित किए जाने की जरूरत है। इसके अलावा एनकेसी ने एक पृथक आईपीआर न्यायाधिकरण, कटिंग ऐज आईपीआर नीति के लिए राष्ट्रीय संस्थान तथा एक वैश्विक प्रौद्योगिकी अभिग्रहण निधि जैसे नए तंत्रों की स्थापना की सिफारिश की है। एनकेसी की सिफारिशों में परंपरागत ज्ञान को बचाए रखने, उसके लिए प्रोत्साहन जुटाने और साथ ही नए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रमुख आईपीआर मुद्दों की पहचान करने के लिए तंत्रों की तलाश की जरूरत पर भी प्रकाश डाला गया है।

- **सरकारी वित्तपोषित अनुसंधान के लिए विधिक तंत्रः** विश्वविद्यालयों में अनुसंधान में प्राणों का संचार करने तथा सरकारी वित्तपोषित अनुसंधान को गति प्रदान करने के लिए एक ऐसा कानून बनाए जाने की जरूरत है जोकि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को सरकारी वित्तपोषित अनुसंधान से पैदा होने वाले अनुसंधानों के लिए स्वामित्व और पेटेंट अधिकार प्रदान करेगा। ऐसा करने से लाइसेंसिंग व्यवस्था के माध्यम से, जिसके तहत आविष्कर्ताओं को भी रायल्टी का एक हिस्सा प्राप्त करने की अनुमति होगी, ऐसे आविष्कारों से के वाणिज्यिकरण के लिए एक समर्थनकारी माहौल पैदा हो सकेगा।
- **राष्ट्रीय ज्ञान और सामाजिक ज्ञान प्रतिष्ठानः** समूचे ज्ञान को एक सर्वथा सुसंबद्ध सत्ता के रूप में देखे जाने के लिए एनकेसी ने एक राष्ट्रीय ज्ञान और सामाजिक ज्ञान प्रतिष्ठान (एनएसएसएसएसएफ) की सिफारिश की है। एनएसएसएसएसएफ का उद्देश्य ऐसी नीतिगत पहलें सुझाना होगा जिससे कि भारत को प्राकृतिक, भौतिक, कृषि, स्वास्थ्य और सामाजिक विज्ञान के सभी क्षेत्रों में नए ज्ञान के सृजन और प्रयोग के क्षेत्र में अग्रणी बनाया जाए।
- **नवाचारः** नवाचार ज्ञान इन्पुटों पर आधारित उन्नति का एक प्रमुख प्रेरक है। एनकेसी ने देश के भीतर नवाचार की स्थिति के बारे में एक व्यापक सर्वेक्षण आयोजित किया। एनकेसी के नवाचार सर्वेक्षण से यह पता चला कि जहां बड़ी कंपनियों और एसएमई–दोनों के पास नवाचार संबंधी बढ़े हुए राजस्व हैं, भारत की आर्थिक उन्नति में नवाचार एक प्रमुख तत्व के रूप में उभर रहा है। आर्थिक उदारीकरण के शुरू होने के बाद से नवाचार के कार्यनीतिक प्राथमिकीकरण में काफी वृद्धि हुई है। नवाचार में कंपनी स्तर के प्रमुख तंत्र और प्रक्रियाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं लेकिन पाठ्यचर्या में प्रयोग/समस्या समाधान पर कम बल दिए जाने के फलस्वरूप कौशलों की कमी एक बड़ी बाधा बनी हुई है। उद्योग, सरकार और शैक्षिक प्रणाली, आर तथा डी परिवेश और उपभोक्ता के बीच और अधिक प्रभावी अभिसरण की भी जरूरत है।
- **उद्यमशीलताः** संपदा के सृजन और रोजगार की उत्पत्ति के लिए उद्यमशीलता को एक प्रमुख प्रेरक के रूप में माना गया है। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए एनकेसी ने ऐसे तत्वों की तलाश करने के लिए एक अध्ययन किया जिन्होंने भारत में उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया है और साथ ही ऐसे तत्व जो उद्यमशीलता की और अधिक उन्नति को सुविधापूर्ण बना सकते हैं। इस अध्ययन के आधार पर अनेक नीतिगत सिफारिशें सुझाई गईं। इन सिफारिशों में एकल खिड़की प्रणाली, संयुक्त प्रार्थना–पत्र आदि जैसे उपायों के माध्यम से एक समर्थनकारी कारोबारी वातावरण का सृजन तथा विशेष वाणिज्यिक न्यायालयों तथा सीमित देयता साझीदारी जैसे नए संस्थानगत तंत्रों की स्थापना करना शामिल है। साथ ही एनकेसी ने उद्यमकर्ताओं के लिए एकल स्टाफ दुकानों, वेब–आधरित पोर्टलों और सूचनापरक पुस्तिकाओं का सृजन करके तथा सीड पूंजीगत वित्तपोषण के लिए प्रोत्साहन देकर सूचना के प्रवाह को सुविधापूर्ण बनाने की भी सलाह दी है। इसके अलावा, उद्यमशीलता क्लबों और उद्‌यगम केन्द्रों के सृजन, उद्योग–शैक्षणिक अभिसरण तथा स्कूल और कालेज के पाठ्यक्रम में उद्यमशीलता शामिल करने की भी सिफारिश की गई है।

अनुप्रयोग

प्रौद्योगिकीय बदलाव को बढ़ावा देने, जीवन स्तर में सुधार लाने तथा सूचना के विश्वसनीय और नियमित प्रवाह को सुविधापूर्ण बनाने के निमित्त ज्ञान का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए ऐसे आपूर्ति माडलों सहित जोकि किसी उद्योग के भीतर प्रक्रियाओं को सरलीकृत बना सकें लक्ष्योन्मुखी अनुसंधान और विकास में अत्यधिक निवेश की जरूरत है। कृषि, श्रम और परंपरागत ज्ञान के क्षेत्रों में पहलें यह दर्शा सकती हैं कि समुदाय की बेहतरी के लिए ज्ञान का अत्यधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है।

स **परंपरागत स्वास्थ्य प्रणालीः** भारत के पास एक अत्यंत समृद्ध और जटिल स्वदेशी चिकित्सीय विरासत है। एनकेसी ने यह सिफारिश की है कि परंपरागत चिकित्सा में उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बड़े प्रयास किए जाने चाहिए। मौजूदा शैक्षिक तंत्र में संभवतः आईआईएससी, आईआईटी तथा एम्स जैसे स्तरीय संसाधनों के माध्यम से तदनुरूपी वित्तीय परिव्ययों सहित साक्ष्य–आधारित दृष्टिकोणों का समावेश किया जाना चाहिए। एनकेसी की सिफारिशें जड़ीबूटी से बनी दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय रूपसे स्वीकार्य मानकीकरण और विकास, नैदानिक परीक्षणों को बढ़ावा देने

और उसके साथ–साथ एक विश्वस्तरीय प्रमाणन प्रक्रिया के अनुपालन के साथ–साथ एकजुट उच्चतर निवेशों तथा और अधिक कठोर प्रविधियों के माध्यम से अनुसंधान का सुदृढ़ीकरणकिए जाने की जरूरत के प्रति केन्द्रित हैं। परंपरागत चिकित्सीय ज्ञान के स्रोतों की बेहतर रक्षा के लिए एक उपयुक्त आईपीआर तंत्र का निर्माण किए जाने की जरूरत और उसके साथ–साथ यह सुनिश्चित करते हुए कि परंपरागत चिकित्साओं के वाणिज्यिकरण के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन बनाए जाएंगे– यह एक ऐसा अन्य पक्ष है जिसे एनकेसी की सिफारिशों में उजागर किया गया है।

- **कृषिः** एनकेसी यह स्वीकार करता है कि भारतीय कृषि के सामने प्रस्तुत चुनौतियों की ओर, उपायों के केवल एक व्यापक पैकेज के माध्यम से जिनमें संवर्द्धित ज्ञान सृजन और अनुप्रयोग पर बल दिया गया हो ध्यान दिया जा सकता है। एनकेसी ने कृषि अनुसंधान संस्थानों का आधुनिकीकरण करने और उन्हें प्रेरित करने, अनुसंधान का समन्वय करने तथा अनुसंधान सहयोग को और अधिक नमनशील बनाने के लिए ठोस उपायों की सिफारिश की है। साथ ही आयोग ने कृषि अनुसंधान के आयोजन में सुधार लाने, उपेक्षित क्षेत्रों की तरफ और अधिक अनुसंधान के निर्देशन, अनुसंधानों के लिए और अधिक प्रोत्साहन देने तथा कृषि विश्वविद्यालयों में पाठ्यचर्या में सुधार की जरूरत को भी स्वीकार किया है। एनकेसी ने इस बात पर बल दिया है कि कृषि में ज्ञान के अनुप्रयोग को समुदाय–प्रेरित तथा कृषकचालित बनाया जाए और ध्यान को हटाकर सेवाओं के एक एकीकृत श्रृंखला उपलब्ध कराने पर केन्द्रित किया जाए। एनकेसी ने कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेंसी (एटीएमए) की पुनर्रचना की भी सिफारिश की है जिससे कि इसे विकेन्द्रीकृत, सहभागितापूर्ण तथा स्थानीय रूप से और अधिक संवेदी बनाया जा सके तथा कृषि विस्तार आपूर्ति में निजीकर्ताओं की भूमिका बढ़ाई जा सके।
- **जीवन स्तर में सुधार लानाः** एनकेसी ने ज्ञान अनुप्रयोगों को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाने के प्रति केन्द्रित किया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए एनकेसी ने समूचे देश के भीतर पंचायत ज्ञान केन्द्र (पीजेटी) स्थापित किए जाने की सिफारिश की है जोकि एनआरईजीए का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे और अंततः सर्वोत्तम परिपाटियों का निदर्शन करने के लिए संसाधन केन्द्रों के रूप में विकसित होंगे, स्थानीय समाधान तैयार करेंगे तथा विभिन्न सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रमों के अभिसरण के लिए एक मंच उपलब्ध कराएंगे। साथ ही एनकेसी ने श्रम की गरिमा बढ़ाने तथा कुशलतापूर्ण रोजगार और संवर्द्धित उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए टूल डिजाइन में नए परिप्रेक्ष्यों की अवधारणा बनाने की भी सिफारिश की है।

सेवाएं

एक सच्चे ज्ञानवान समाज का सृजन करने के लिए, विशेष रूप से नागरिक–सरकार के इंटरफेस के संवर्द्धन के वास्ते नागरिकों के लिए प्रभावी ज्ञान सेवाओं की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी हमें सरकारी सेवाओं में जवाबदेही, पारदर्शिता और कुशलता सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान करती है। ई–अभिशासन एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से नागरिकों को सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने में समर्थ बनाया जा सकता है।

- ई–अभिशासनः सरकार द्वारा सेवाओं की आपूर्ति की प्रभाविता बढ़ाने के लिए एनकेसी ने इस बात पर बल दिया है कि ई–अभिशासन केवल यही नहीं कि चिरपुरातन प्रक्रियाओं के कंप्यूटरीकरण के रूप में हो, बल्कि और अधिक कुशलता तथा नागरिक दिशा–अनुकूलन सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्रणालियों पर पुनर्विचार की दिशा में एक उपाय भी हो। एनकेसी की सिफारिशें सरकारी प्रक्रियाओं की पुनर्रचना पर बल देती है जिससे कि सरकार के बुनियादी ढांचे को सरलता, पारदर्शिता, उत्पादकता और कुशलता की ओर बदला जा सके। वे ई–अभिशासन के लिए सामान्य मानक तैयार करने तथा एक साझा मंच/ आधारिक–तंत्र तैयार करने पर बल देती हैं। इसके अलावा अच्छी तरह संरचित ई–अभिशासन कार्यान्वयन और वेब–इंटरफेस सहित सभी नए राष्ट्रीय कार्यक्रम (जैसेकि भारत निर्माण, ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम आदि) शुरू किए जाने के साथ–साथ ऐसी 10–20 महत्वपूर्ण सेवाएं जोकि नागरिकों के लिए बड़ा अंतर पैदा करती हैं चुनी जानी चाहिए, उन्हें सरल बनाया जाना चाहिए और उन्हें वेब–आधारित सेवाओं के रूप में पेश किया जाना चाहिए। ऐसा करने से सेवाओं की शीघ्र आपूर्ति, उत्पादकता और कुशलता सुनिश्चित हो सकेगी जिससे कि ऐसी सेवाएं नागरिक–केन्द्रित हो जाएंगी और यह सुनिश्चित हो सकेगा कि सही व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो सकें।

एनकेसी की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई

ज्ञान प्रतिमान के पांच पक्षों पर ध्यान केन्द्रित करके एनकेसी ने भविष्य के लिए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें इन नीतिगत सुझावों के सफल कार्यान्वयन के लिए उपाय कर रही हैं। एनकेसी की परिकल्पना के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता 11वीं पंचवर्षीय योजना में परिलक्षित होती है जिसमें योजना की व्यापक रूपरेखाएं तैयार करने में एनकेसी के इन्पुट शामिल किए गए हैं।

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) विस्तार, उत्कृष्टता और समानता पर विशेष बल देते हुए त्वरित और समावेशी उन्नति प्राप्त करने के एक केन्द्रीय साधन के रूप में शिक्षा को उच्च प्राथमिकता प्रदान करती है। यह बात 3 ट्रिलियन रुपए के प्रस्तावित आबंटन से जोकि 10वीं योजना से चौगुना अधिक है, परिलक्षित होती है। इस प्रकार कुल योजना में शिक्षा का हिस्सा 7.7 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत हो जाएगा।

स्कूली शिक्षा में सुधार की पहल में शिक्षा के अधिकार को साकार करने पर अत्यधिक बल देते हुए सर्व शिक्षा अभियान का पुनः दिशा–अनुकूल शामिल है। माध्यमिक स्तर पर सर्वसुलभता और गुणवत्ता की स्कीम के तहत 6000 नए उच्चस्तरीय माडल स्कूल खोले जाएंगे, प्रत्येक ब्लाक में इस तरह का कम से कम एक स्कूल होगा।

पहली धारा में सरकार द्वारा वित्तपोषित 2500 स्कूल शामिल होंगे ख्केवी (केन्द्रीय विद्यालय) में 2000 तथा एनवी (नवोदय विद्यालय) में 500, जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ऐसे ब्लाकों में खोले जाएंगे जहां एससी, एसटी, ओबीसी तथा अल्पसंख्यकों की आबादी की बहुलता है। दूसरी धारा के लगभग 2500 स्कूल अन्य ब्लाकों में सरकारी–निजी भागीदारी के माध्यम से खोले जाएंगे जिसमें भौगोलिक, जनसांख्यिकीय, बालक–बालिका और सामाजिक समानता पर बल दिया जाएगा। बाकी 1000 स्कूलों से संबंधित रीति को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।

व्यावसायिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रधानमंत्री की देखरेख में 31,200 करोड़ रुपए के परिव्यय सहित एक नया कौशल विकास मिशन 1600 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) तथा पालिटेक्निक, 10000 नए व्यावसायिक स्कूल और 50,000 नए कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना करने का लक्ष्य लेकर चलेगा। सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के सक्रिय सहयोग से एक कौशल विकास निगम भी स्थापित किया जाएगा ताकि युवकों और युवतियों, कामगारों तथा तकनीशियनों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में 11वीं योजना में सरकारी खर्च बढ़ाकर, निजी पहलों को बढ़ावा देकर तथा चिरवांछित प्रमुख संस्थानगत और नीतिगत सुधार लाकर विस्तार, समावेशन तथा गुणवत्ता में त्वरित सुधार पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। 11वीं योजना में 30 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ विस्तार का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, 8 नए आईआईटी, 7 नए आईआईएम, 20 नए आईआईआईटी, 5 नए भारतीय विज्ञान संस्थान, 2 नियोजन और वास्तुकला स्कूल, 10 एनआईटी, 373 नए डिग्री कालेज और 1000 नए पालीटेक्निक भी खोले जाएंगे। इन संस्थानों की स्थापना करते समय सरकारी–निजी भागीदारी की संभावना का भी पता लगाया जाएगा। योजना यूजीसी, एआईसीटीई, एमसीआई तथा बीसीआई जैसे विनियामक संस्थानों की पुनरीक्षा किए जाने की जरूरत भी स्वीकार करती है। तदनंतर इस संदर्भ में एक विशिष्ट सुधार कार्यसूची सुझाने के वास्ते एक उच्चस्तरीय समिति स्थापित की गई है। विश्वविद्यालयों में अनुसंधान के नवीकरण के लिए एक राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड का प्रस्ताव किया गया है। उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने के लिए आईसीटी की संभावना का लाभ उठाने के वास्ते 11वीं योजना में 'आईसीटी के माध्यम से शिक्षा मिशन' के निमित्त 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। योजना में देश के भीतर सभी ज्ञान संस्थानों को गीगाबिट क्षमताओं से संयोजित करने की बात भी सोची गई है ताकि संसाधनों और अनुसंधान का आदान–प्रदान हो सके। एनकेएन के पहले चरण को प्रचालित करने के लिए 1000 संस्थान परस्पर जोड़े जाएंगे।

योजना में सार्वजनिक पुस्तकालयों में सुधार लाने तथा अनुवाद प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञतापूर्ण पाठ्यक्रमों सहित अनुवादक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल) मैसूर के तत्वावधान में योजना अवधि के लिए 73.97 करोड़ रुपए के परिव्यय सहित एक राष्ट्रीय अनुवाद मिशन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। पुस्तकालयों के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयुष जैसी परंपरागत स्वास्थ्य प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण करने तथा आईपीआर में सुधार लाने पर भी बल दिया गया है ताकि अंततः एक सुलभ, स्वीकार्य, वहनीय तथा स्तरीय ढंग से आयुष स्वास्थ्य देखभाल की आउटरीच बढ़ाई जा सके।

11वीं योजना में आईपीआर के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रावधानों में आईपी कार्यालयों के आधुनिकीकरण का दूसरा चरण शुरू करना शामिल है। इस प्रकार आईटी सुविधाओं को नियमित रूप से अद्यतन बनाए जाने के साथ–साथ मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण तथा जागरूकता और साथ ही आधारिक–तंत्र की जरूरतों की ओर ध्यान देने का विशेष प्रयास किया जाएगा।

11वीं योजना एक ऐसे उपयुक्त विधायी तंत्र की जरूरत भी स्वीकार करती है जिसके तहत आविष्कर्ताओं तथा सरकारी वित्तपोषित अनुसंधान के वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा जिसमें सरकार, निधियों के प्राप्तकर्ता, आविष्कर्ता और साथ ही जनता आईपी के संरक्षण और वाणिज्यीकरण से लाभान्वित होंगे। इस विषय पर एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

नवाचार के महत्व को स्वीकार करते हुए योजना एक ऐसी राष्ट्रीय नवाचार नीति की जरूरत पर बल देती है जो उद्यमों

के बीच प्रतियोगिता को, ज्ञान के अधिकप्रसार को तथा प्रारंभिक अवस्था प्रौद्योगिकी विकास व ग्रासरूट स्तर के आविष्कर्ताओं को बढ़े हुए सहयोग को प्रोत्साहित करती हो।

ई–अभिशासन पर एनकेसी सिफारिशों का सरकार द्वारा मोटे तौर पर समर्थन किया गया और उन्हें राष्ट्रीय ई–अभिशासन योजना (एनईजीपी) में शामिल कर लिया गया। एनईजीपी के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम प्रबंध–तंत्र के एक अंग के रूप में मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक निकाय की स्थापना को मंजूरी दे दी ताकि नेतृत्व प्रदान किया जा सके, सुपुर्दगीयोग्य और उपलब्धियां निर्धारित की जा सके और एनईजीपी के कार्यान्वयन का नियतकालिक आधार पर मानीटरन किया जा सके।